न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

पत्र संख्या–07/2023
पत्र प्रविष्टि दिनांक–03.07.2023
निर्णय दिनांक–04.09.2024

रामजस जाट पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

आवेदक

बनाम

जगदीश पुत्र भूरा जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
रामकुंवार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
सजना पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
1. जीतराम पुत्र माता सरूपी जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. ममता पुत्री माता सरूपी जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. सुशीलला पुत्री माता सरूपी जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. गुड्डी पुत्री माता सरूपी जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
सोसर पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
रामराय पुत्र गेंदीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपलू

अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी–श्री राजाराम चौधरी, श्री भरत गुर्जर एड0
अधिवक्ता अप्रार्थीगण–श्री विवेक चौधरी, श्री कमलेश कुमार गुर्जर एड0

प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.टि.एक्ट. 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि आराजी ख0न0 2366 रकबा 0.0379 हैक्ट., ख0न0 2367 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) स्थित है, जो प्रार्थी की कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग की भूमि है। जिसमें प्रार्थी वर्षो से ख0न0 2371/1 गै.मु.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

ास्ते से होते हुए ख0न0 2363 राजकीय सिवायचक भूमि में से बने रास्ते से होकर प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की ूमि ख0न0 2364, ख0न0 2365 से होकर सदा सर्वदा से बने हुए रास्ते से आता जाता रहा हैं। ख0न0 2363, 364 व ख0न0 2365 से होकर वर्षो से रास्ता बना हुआ है और उसी रास्ते में से प्रार्थी अपने खातेदारी व उपयोग पभोग की भूमि पर आता जाता है तथा इसी रास्ते से होकर अपने उपयोग उपभोग की भूमि पर आता जाता है था इसी में से होकर अपने उपयोग उपभोग हेतु हल, बेल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली, गाय, भैंस आदि को लाता ले ाता है। प्रार्थी के पास अपनी उपयोग उपभोग की भूमियो में आने जाने के लिए ख0न0 2363, 2364 व ख0न0 365 में बने हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0न0 2364 व ख0न0 2365 की खातेदारी तिपक्षीगण के नाम दर्ज होने से अब उनकी नियत में बेईमानी आ गई है तथा उन्होने नाजायज रूप से प्रार्थी का ावागमन अवरूद्ध करना तथा अनावश्यक रूप से लडाई झगडा करना आरम्भ कर दिया है। जिससे प्रार्थी का पने उपयोग उपभोग की खातेदारी भूमि पर आना जाना व हर प्रकार से आवागमन अवरूद्ध कर दिया गया है। सी स्थिती में प्रार्थी का अपने उपयोग उपभोग की भूमि पर आना जाना हर प्रकार से अवरूद्ध हो गया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी को गै.मु. रास्ते से होकर ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ते से ख0न0 2363 राजकीय सिवायचक भूमि मे ा होकर ख0न0 2364 व ख0न0 2365 में सदा सर्वदा से बने हुए रास्ते से अपनी खातेदारी ख0न0 2366 व ख0न0 367 में आने जाने हेतु 20 फिट का रास्ता जो मौके पर चालू है, का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन किया ाना तथा प्रतिपक्षीगण को चालू रास्ते को बन्द नही करने हेतु पावन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। ार्थी को ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ते से ख0न0 2363 राजकीय सिवायचक भूमि मे से होकर ख0न0 2364 व 365 मे से 20 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जाना आवश्यक है। जिसके लिए प्रार्थी डी.एल.सी. दर से मुआवजा ाशि प्रतिपक्षीगण को अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थी को उक्त रास्ता दिलवाकर नक्शा शीट में तरमीम रवायी जाना तथा जमाबंदी में से रकबा कर करवाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं, ताकि भविष्य में किसी कार का विवाद पैदा न हो अन्यथा प्रार्थी को अपार हानि होगी व कई प्रकार के झगडे होगे। अतः प्रार्थना पत्र मय ापथ पत्र पेश कर निवेदन है की प्रार्थी को आराजी ख0न0 2366 व 2367 वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में आने जाने के लिए ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ता से ख0न0 2363 राजकीय सिवायचक भूमि मे से होकर ख0न0 2364 व 2365 में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की मौका रीक्षण रिपोर्ट चाही गई। प्रतिपक्षीगण की ओर अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी एड. व श्री कमलेश कुमार गुर्जर एड0 वकालतनामा मय जवाब पेश कर निवेदन किया की उक्त वर्णित आराजीयात वाके ग्राम झिराना में स्थित होना वीकार है। शेष वर्णित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 02 में वर्णित तथ्य गलत ोने से अप्रार्थीगण स्वीकार नही करते है। अगर रास्ता बना हुआ है, तो प्रार्थी द्वारा लाया गया प्रार्थना पत्र धारा 51 ए के तहत् पोषणीय नही है। प्रार्थना पत्र का चरण संख्या 03 गलत होने से अप्रार्थीगण स्वीकार नही करते । जहां पहले से रास्ता कायम होना प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है, तो धारा 251 ए के प्रावधान लागू नही ोते है और अगर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है, तो उसे खुलवाने हेतु सक्षम न्यायालय में ाराजोही करनी चाहिए। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

धि विरूद्ध व पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात व प्रतिपक्षी से चोहे गये स्ते की आराजीयात कृषि भूमि एवं काबिल काश्त भूमि नही है। बल्कि गै.मु. बाडे की भूमि हैं। इस प्रकार प्रस्तुत करण की क्षैत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त ना होकर सिविल न्यायालय को प्त है। अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण ने विशेष आपत्तियां प्रस्तुत कर कथन किया की विवादित आराजीयात ख0न0 2366 2367 के लगवा ही प्रार्थी व उसके भाईयो की भूमि ख0न0 2361 स्थित है। अगर उन्हे रास्ता लेना ही है तो र्वप्रथम संयुक्त खातेदारी के खाते के नाम दर्ज भूमि का विभाजन के समय अपने सह अभिधारियो से लेना चाहिए । प्रथम अधिकार रास्ते का ख0न0 2361 से बनता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध लाया गया र्थना पत्र मेन्टेबल नही होने से खारिज योग्य है। चूकिं ख0न0 2361 पूर्व में प्रार्थी व उसके भाईयो की खातेदारी दर्ज था और प्रार्थी इसी ख0न0 से अपने बाडे पर आया जाया करता था। ख0न0 2368 मुख्य सडक पर स्थित और इसी ख0न0 के अडवा प्रार्थी का बाडा स्थित है। जिसका ख0न0 2367 है। अगर प्रार्थी को रास्ता को लेकर ई अनुतोष हेत आवेदन पेश करना बनता है, तो वह ख0न0 2368 मे से बनता है। किन्तु प्रार्थी ने जानबुझकर लत रूप से अप्रार्थीगण के बाडो मे से जिसमे निर्माण कार्य हो रखा है। रास्ते बाबत् अनुतोष चाहा गया है। बकि प्रार्थी का निकटतम मार्ग ख0न0 2368 से बनता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कियाा गया आवेदन मय र्ा खर्चा खारिज योग्य है। रा0टि0ए0 1955 की धारा 251 ए के प्रावधान कृषि भूमि के रास्ते बाबत् है, जबकि र्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि काबिल काश्त ना होकर गै.मु. बाडे की भूमि है। इस कारण भी प्रार्थी किसी ह का कोई अनुतोष माननीय न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी के पास स्वयं के खेत से अपने बाडे पर पहूंचने का निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। किन्तु रंजिशवश उसने अप्रार्थीगण के र्माणशुदा बाडे मे से रास्ता चाहा है। जो कानूनी प्रावधानो के तहत् संभव नही है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा तुत प्रार्थना पत्र विधि एवं नियम विरूद्ध होने से स्वीकार किये जाने योग्य ना होकर खारिज किये जाने योग्य है। तः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र एवं चाहा गया अनुतोष धि एवं नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 994 दिनांक 04.09.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अपनी भूमि पर ुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। ताावित रास्ते के ख0न0 2363 मे से लम्बाई 19 मीटर, चोडाई 6 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0114 हैक्ट. व ख0न0 64 में से लम्बाई 17 मीटर, चौडाई 6 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0102 हैक्ट., ख0न0 2365 मे से लम्बाई 21 मीटर, डाई 6 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0126 हैक्ट. इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 0.0342 हैक्ट. है। जिसकी .एल.सी. दर अनुसार दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 55,233 रूपये है। विवादित आराजीयात ख0न0 2366, 2367 वेदक की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड भूमि है। प्रार्थी ने ख0न0 2364 व 2365 खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा गया परन्तु प्रार्थी को ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ते से प्रवेश करते समय सर्वप्रथम ख0न0 2363 रकबा 0.0632 हैक्ट. स गै.मु. बाडा राजकीय सिवायचक भूमि से होकर अपनी खातेदारी तक जाना होगा। जिसको प्रस्तावित कर शा ट्रेस में लाल रंग से चिन्हित कर दिया गया है एवं नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

… कोई संरचना जैसे पेड/दीवार आदि नही है। अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता …दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

तहसीलदार पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने बहस में बताया … भूमि आराजी ख0न0 2366, ख0न0 2367 वाके ग्राम झिराना में स्थित है, जो प्रार्थी की कब्जे काश्त व उपयोग …भोग की भूमि है। जिसमें प्रार्थी वर्षो से ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ते से होते हुए ख0न0 2363 राजकीय …वायचक भूमि में से बने रास्ते से होकर प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 2364, ख0न0 2365 से होकर …दा सर्वदा से बने हुए रास्ते से आता जाता रहा हैं। ख0न0 2363, 2364 व ख0न0 2365 से होकर वर्षो से रास्ता …ना हुआ है और उसी रास्ते में से प्रार्थी अपने खातेदारी व उपयोग उपभोग की भूमि पर आता जाता है तथा इसी …स्ते में से होकर अपने उपयोग उपभोग हेतु हल, बेल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली, गाय, भैस आदि को लाता ले जाता … प्रार्थी के पास अपनी उपयोग उपभोग की भूमियो में आने जाने के लिए ख0न0 2363, 2364 व ख0न0 2365 में …ने हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ख0न0 2364 व ख0न0 2365 की खातेदारी …तिपक्षीगण के नाम दर्ज होने से अब उनकी नियत में बेईमानी आ गई है तथा उन्होने नाजायज रूप से प्रार्थी का …वागमन अवरूद्ध करना तथा अनावश्यक रूप से लडाई झगडा करना आरम्भ कर दिया है। जिससे प्रार्थी का …पने उपयोग उपभोग की खातेदारी भूमि पर आना जाना व हर प्रकार से आवागमन अवरूद्ध कर दिया गया है। …सी स्थिती में प्रार्थी को गै.मु. रास्ते से होकर ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ते से ख0न0 2363 राजकीय सिवायचक …मि मे से होकर ख0न0 2364 व ख0न0 2365 में सदा सर्वदा से बने हुए रास्ते से अपनी खातेदारी ख0न0 2366 … ख0न0 2367 में आने जाने हेतु 20 फिट का रास्ता जो मौके पर चालू है, का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से अंकन …कया जाना तथा प्रतिपक्षीगण को चालू रास्ते को बन्द नही करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत … प्रार्थी को ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ते से ख0न0 2363 राजकीय सिवायचक भूमि मे से होकर ख0न0 2364 व …365 मे से 20 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते का अंकन नक्शा शीट किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 06 ने अपनी बहस में बताया की जहां पहले से रास्ता कायम है, तो …रा 251 ए के प्रावधान लागू नही होते है और अगर अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है, तो उसे …ुलवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष …स्तुत किया गया प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त …आराजीयात व प्रतिपक्षी से चोहे गये रास्ते की आराजीयात कृषि भूमि एवं काबिल काश्त भूमि नही है। बल्कि गै.मु. …ाडे की भूमि हैं। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण की क्षैत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता माननीय न्यायालय हाजा को …ाप्त ना होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। विवादित आराजीयात ख0न0 2366 व 2367 के लगवा ही प्रार्थी व …सके भाईयो की भूमि ख0न0 2361 स्थित है। अगर उन्हे रास्ता लेना ही है, तो सर्वप्रथम संयुक्त खातेदारी के …ाते के नाम दर्ज भूमि का विभाजन के समय अपने सह अभिधारियो से लेना चाहिए था। प्रथम अधिकार रास्ते का …ख0न0 2361 से बनता है। पूर्व में प्रार्थी इसी ख0न0 से अपने बाडे पर आया जाया करता था। ख0न0 2368 मुख्य …सडक पर स्थित है और इसी ख0न0 के अडवा प्रार्थी का बाडा स्थित है। जिसका ख0न0 2367 है। अगर प्रार्थी को …रास्ता को लेकर कोई अनुतोष हेतु आवेदन पेश करना बनता है, तो वह ख0न0 2368 मे से बनता है। किन्तु प्रार्थी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

जानबुझकर गलत रूप से अप्रार्थीगण के बाडों मे से जिसमे निर्माण कार्य हो रखा है। रास्ते बाबत् अनुतोष चाहा गया है। जबकि प्रार्थी का निकटतम मार्ग ख0न0 2368 से बनता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन मय हर्जा खर्चा खारिज योग्य है। रा0टि0ए0 1955 की धारा 251 ए के प्रावधान कृषि भूमि के रास्ते बाबत् है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि काबिल काश्त ना होकर गै.मु. बाडे की भूमि है। इस कारण भी प्रार्थी किसी तरह का कोई अनुतोष माननीय न्यायालय हाजा से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी के पास स्वयं के खेत मे से अपने बाडे पर पहूंचने का निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि एवं नियम विरूद्ध होने से स्वीकार किये जाने योग्य ना होकर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र एवं चाहा गया अनुतोष विधि एवं नियम विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रतिपक्षी संख्या 07 ने अपनी बहस में बताया की प्रतिपक्षी तहसीलदार पीपलू ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को अपनी भूमि पर पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के ख0न0 2363 मे से लम्बाई 19 मीटर, चोडाई 6 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0114 हैक्ट. व ख0न0 2364 में से लम्बाई 17 मीटर, चौडाई 6 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0102 हैक्ट., ख0न0 2365 मे से लम्बाई 21 मीटर, चौडाई 6 मीटर कुल क्षैत्रफल 0.0126 हैक्ट. इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 0.0342 हैक्ट. है। जिसकी डी.एल.सी. दर अनुसार दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 55,233 रूपये है। विवादित आराजीयात ख0न0 2366, 2367 आवेदक की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड भूमि है। प्रार्थी ने ख0न0 2364 व 2365 खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा गया है। परन्तु प्रार्थी को ख0न0 2371/1 गै.मु. रास्ते से प्रवेश करते समय सर्वप्रथम ख0न0 2363 रकबा 0.0632 हैक्ट. किस्म गै.मु. बाडा राजकीय सिवायचक भूमि से होकर अपनी खातेदारी तक जाना होगा। जिसको प्रस्तावित कर नक्शा ट्रेस में लाल रंग से चिन्हित कर दिया गया है एवं नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड/दीवार आदि नही है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 06 रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है। ख0न0 2363 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम झिराना के सिवायचक खाता संख्या 01 में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये ख0न0 2363 मे से प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर, नक्शा ट्रेस दो प्रतियों में संलग्न है। यदि उक्त ख0न0 2363 राजकीय सिवायचक भूमि से रास्ते के बदले प्रार्थी दोगुनी प्रतिकर राशि का भुगतान करे एवं रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए दे दिया जावे तो प्रतिपक्षी संख्या 07 को कोई उज्र आपत्ति नही है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह समाधान होना आवश्यक हैं कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता हो तथा यह जोत में सुविधाजनक उपयोग उपभोग के लिए नहीं है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान हैं। किन्तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त प्रावधान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि में ख0न0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

;6 रकबा 0.0379 हैक्ट. व ख0न0 2367 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना पर आने जाने के लिए कोई ा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया गया है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता भी बतायी गई प्रतिपक्षी संख्या 06 ने भी उक्तानुसार रास्ता देने हेतु अपनी आंशिक सहमति जाहिर की है। अतः प्रार्थी द्वारा ुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 2366 रकबा 0.0379 हैक्ट. ख0न0 2367 रकबा 0.0632 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में उपयोग भोग हेतु आने जाने के लिए भूमि आराजी ख0न0 2371/1 किस्म गै.मु. रास्ता से प्रतिपक्षी संख्या 07 की भूमि ;3 राजकीय सिवायचक भूमि से होते हुए, प्रतिपक्षी संख्या 01 ता 06 की भूमि आराजी ख0न0 2364 व ख0न0 ;5 वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में से होकर मुताबिक प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार उक्त खसरा वर 2366 की मेड तक 20 फिट चौडाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार उक्त रास्ते काम आने वाली भूमि का क्षैत्रफल निकालकर नवीनतम डी.एल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की ना कर, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत का मूल्याकंन करे। तद्नुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को तान किये जाने व प्रतिपक्षी द्वारा राशि नही लिये जाने की स्थिती में जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त पक्षीगण की भूमि का रकबा कम किया जाकर नवीन रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 01 में एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम करे। उक्त प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक योग उपभोग के लिए आमजन के लिए रहेगा। निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर ने न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर

(कपिल शर्मा आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with OKEN Scanner